



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA



भा.रि.बैं./2024-25/14

विवि.आरईटी.आरईसी.10/12.07.160/2024-25

05 अप्रैल , 2024

सभी वाणिज्यिक एवं सहकारी बैंक

महोदया / महोदय,

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से "कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड" को हटाना

हम यह सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से "कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड " को 28 मार्च 2024 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में 22 फरवरी 2024 को प्रकाशित अधिसूचना डीओआर.आरईजी.एलआईसी.संख्या.S6720/07.12.000/2023-24 के द्वारा हटा दिया गया है।

भवदीय,

(मनोरंजन पाटी)

मुख्य महाप्रबंधक

विनियमन विभाग, केंद्रीय कार्यालय, 12वीं और 13वीं मंज़िल, नरीमन भवन, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400021
Department of Regulation, Central Office, 12th & 13th Floor, Nariman Bhavan, Nariman Point, Mumbai 400021
बैंक हिंदी में पत्राचार का स्वागत करता है

Caution: RBI never sends mails, SMSs or makes calls asking for personal information like bank account details, passwords, etc. It never keeps or offers funds to anyone. Please do not respond in any manner to such offers.